**जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 06.03.2023**

आज दिनांक 06.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

## नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्रीमती दीपांशी राठौर** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 117/2023 धारा 363 / 366 / 376 / 120(बी) भा0द0वि0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित 02 अभियुक्त नाम पता 1- जावेद पुत्र कादिर निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, 2- कादिर पुत्र सगीर अहमद निवासी छितही थाना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तों द्वारा वादिनी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गये थे, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 23.02.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 06.03.2023 को उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, कां0 राजन खरवार, म0कां0 सविता गुप्ता।

## नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित बाल अपचारी गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्रीमती दीपांशी राठौर** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 107/2023 धारा 363 / 366 / 376 भा0द0वि0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित 01 नफर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 17.02.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 06.03.2023 को अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री वीरबहादुर यादव, कां0 प्रमोद कुमार मौर्य, कां0 अभिलेश कुमार, म0कां0 सुषमा खरवार।

## अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 01 किलो अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में **थाना धनघटा** पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1- अम्बिका यादव पुत्र स्व0 राम रतन यादव, 2- संजय पाठक पुत्र रामज्ञा पाठक को बिड़हरघाट के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना धनघटा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- अम्बिका यादव पुत्र स्व0 राम रतन यादव ग्राम धनसुरपुर थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर।

2- संजय पाठक पुत्र रामज्ञा पाठक ग्राम विशुनपुरा (नन्हिया जोत) थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

**बरामदगी-**

350 ग्राम अवैध गांजा।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 134 / 2023, धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –**

उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, कां0 हरीश सिंह, कां0 रंजन राजभर, कां0 प्रकाश सिंह, कां0 हिमांशु मिश्रा।

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1490 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल–** पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत उमरिया बाजार से इवेन्ट संख्या 03929 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 03 लोगों के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल लोगों को जरिए एम्बुलेंस से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से

पहुंचकर दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ** –मु0आ0 संजय पाल, म0आ0 प्रेमा बिन्द, आ0चा0 राजीव सोनकर।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 37 वाहनो से 32,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 06.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 37 वाहनों से 32,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।